संख्या-671/2025/3811/22-2-2023-17(1440)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 27 जून, 2025

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नीटू उर्फ शिवराष्ट्र पुत्र श्री कृष्णपाल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर (हाल-जिला शामली) की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-30070/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.09.2023), दिनांक 04.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नीटू उर्फ शिवराष्ट्र पुत्र श्री कृष्णपाल, पिण्डोरा, थाना-झिंझाना, जनपद- जनपद-मुजफ्फरनगर (हाल- जिला शामली) का निवासी है। जमीन के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 04/05.06.2008 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चें से गोली मारकर मोहर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बंदी को उक्त अपराध हेतु (1) सत्र परीक्षण नं0-74/2009, 783/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 452, 506 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-15, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 30.05.2013 द्वारा आजीवन कारावास एवं (2) सत्र परीक्षण नं0-45/2010, धारा-2/3 गै०एक्ट में मा० विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-05, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 25.07.2016 द्वारा 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 24.07.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 00 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 07 माह, 07 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, बन्दी को समयपूर्व रिहा किये जाने पर पुनः भविष्य में ऐसे अपराधों में संलिप्त होने की सम्भावना होने, कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में सशक्त होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीन के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 04/05.06.2008 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर मोहर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नीटू उर्फ शिवराष्ट्र पुत्र श्री कृष्णपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नीटू उर्फ शिवराष्ट्र (बंदी संख्या-417/18) पुत्र श्री कृष्णपाल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर (हाल-जिला शामली) के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-671/2025/3811(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर/शामली।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-671/2025/3811/22-2-2023-17(1440)/2023

दिनांक 27 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नीटू उर्फ शिवराष्ट्र पुत्र श्री कृष्णपाल, पिण्डोरा, थाना-झिंझाना, जनपद- जनपद-मुजफ्फरनगर (हाल- जिला शामली) का निवासी है। जमीन के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 04/05.06.2008 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चें से गोली मारकर मोहर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बंदी को उक्त अपराध हेतु (1) सत्र परीक्षण नं0-74/2009, 783/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 452, 506 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-15, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 30.05.2013 द्वारा आजीवन कारावास एवं (2) सत्र परीक्षण नं0-45/2010, धारा-2/3 गै०एक्ट में मा० विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-05, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 25.07.2016 द्वारा 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 24.07.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष, 00 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 07 माह, 07 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में होने, बन्दी को समयपूर्व रिहा किये जाने पर पुनः भविष्य में ऐसे अपराधों में संलिप्त होने की सम्भावना होने, कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध कारित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में सशक्त होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीन के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 04/05.06.2008 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर मोहर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नीटू उर्फ शिवराष्ट्र पुत्र श्री कृष्णपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।